न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 627–तीन/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–1–2016 पारित द्वारा तहसीलदार टप्पा धुंधडका तहसील व जिला मंदसौर, प्रकरण कमांक 58/अ–6/2010–11

1–हंसराज पिता स्वर्गीय जगदीश धाकड
2–गुलाबचंद पिता बालमुकुन्द धाकड
निवासीगण ग्राम धमनार तहसील व जिला मंदसौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रमेश पिता बालमुकुन्द धाकड
निवासी धमनार तहसील व जिला मंदसौर

.....अनावेदक

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/8//6 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार टप्पा धुंधडका तहसील व जिला मंदसौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार धुंधडका तहसील व जिला मंदसौर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धमनार तहसील व जिला मंदसौर स्थित भूमि सर्वे कमांक कमशः 1166 रकबा 2.195 हेक्टेयर, 1278 रकबा 0.533 हेक्टेयर, 2353 रकबा 0.272 हेक्टेयर, 2352

रकबा 0.121 हेक्टेयर, 2354 रकबा 1.923 हेक्टेयर, 2355 रकबा 0.418 हेक्टेयर एवं 2358 पैकि रकबा 0.347 हेक्टेयर कुल रकबा 5.809 हेक्टेयर श्रीमती कावेरीबाई के स्वामित्व की भूमि है । श्रीमती कावेरीबाई का स्वर्गवास हो चुका है और उनके द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में पंजीकृत वसीयतनामा अनावेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया है, अतः अनावेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 58/अ–6/2010–11 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–1–2016 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपील मेमों में संशोधन चाहा गया था, जिसे बिना कारण निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर निर्णय हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण दिनांक 27–5–2012 को अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार वाद अभिलेख पर लेने से प्रकरण के गुणदोष पर कोई फर्क नहीं पड़ता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार वाद लंबित रहने से तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने के लिए कोई कारण तहसीलदार द्वारा अपने अंतरिम आदेश में नहीं दर्शाया गया है, जबकि वैधानिक दृष्टि से तहसीलदार को सकारण आदेश पारित करते हुए आवेदन पत्र पर निर्णया लेना था । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ

प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सर्वप्रथम आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार कर सकारण आदेश पारित करें, तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार का आदेश दिनांक 22–1–2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर